2012:CGHC:9895

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील सं. 247 / 1997

कड़ती राम

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

दाण्डिक अपील सं. 248/ 1997

ठरसा सोमलु

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ।

हस्ताक्षरित/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा,

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक : 29/08/2012 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

2012:CGHC:9895

युगलपीठ: <u>माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं</u>

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा</u>

<u>दाण्डिक अपील क्र. 247/1997</u>

<u>अपीलार्थी -</u> कड़ती राम, पिता पांडरू मुरिया, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी – केस कुटुल, चौकी भैरमगढ़, थाना बीजापुर, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

<u>बनाम</u>

प्रत्यर्थी – मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य),

उपस्थित :

श्रीमती किरण जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता, राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दाण्डिक अपील क्र. 248/1997</u>

<u>अपीलार्थी -</u> उरसा सोमलु, पिता सन्नू मुरिया, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी – केस कुटुल, चौकी भैरमगढ़, थाना बीजापुर, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

<u>बनाम</u>

प्रत्यर्थी – मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य),

उपस्थित :

श्रीमती किरण जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता, राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से।

2012:CGHC:9895

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

निर्णय

(29.08.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश द्वारा पारित::

1. ये अपीलें सत्र प्रकरण क्रमांक 177/1988 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-08-1996 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्तगण/अपीलार्थी कड़ती राम तथा उरसा सोमलु को दोषसिद्ध कर निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया गया है, इस निर्देश सहित कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी :—

दोषसिद्धि	**दंड**
धारा 341 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	1 माह का कारावास
धारा 147 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	2 वर्ष का कारावास
धारा 148 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	3 वर्ष का कारावास
धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	3 वर्ष का कारावास
धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	आजीवन कारावास

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. दाण्डिक अपील क्रमांक 244/1997, जो कड़ती सोमलु द्वारा दायर की गई थी, दाण्डिक अपील क्रमांक 245/1997, जो लेकामी बोड़ा द्वारा दायर की गई थी, तथा दाण्डिक अपील क्रमांक 246/1997, जो कड़ती बुधराम द्वारा दायर की गई थी, भी इस प्रकरण में आक्षेपित निर्णय, अर्थात् सत्र प्रकरण क्रमांक 177/1988 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-08-1996, से ही उत्पन्न हुई थीं।

दाण्डिक अपील क्रमांक 244/1997 का निस्तारण आदेश दिनांक 3-4-2006 द्वारा किया गया, क्योंकि अभियुक्त कड़ती सोमलु को 15 अगस्त, 2004 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष क्षमादान पर रिहा कर दिया गया था।

दाण्डिक अपील क्रमांक 245/1997 का निस्तारण आदेश दिनांक 3-4-2006 द्वारा, अपील लंबित रहने के दौरान अभियुक्त लेकामी बोड़ा की मृत्यु हो जाने के कारण, उपशमित घोषित करते हुए किया गया।

दाण्डिक अपील क्रमांक 246/1997 का निस्तारण आदेश दिनांक 3-4-2006 द्वारा किया गया, क्योंकि अभियुक्त कड़ती बुधराम को 18 दिसंबर, 2002 को विशेष क्षमादान पर रिहा कर दिया गया था।

3. अभियोजन का प्रकरण, संक्षेप में, निम्नानुसार है :—

शिकायतकर्ता राम (अ.सा.-1) ग्राम भैरमगढ़, पुलिस चौकी भैरमगढ़ में निवास करता था तथा कृषि कार्य में संलग्न था। दिनांक 29-1-1988 को लगभग सायं 4 बजे वह स्थानीय बाजार गया था, जहाँ मुर्गा-लड़ाई आयोजित कर जीत-हार का जुआ खेला जा रहा था, जो स्थानीय प्रथा थी। मृतक बलराम तथा अभियुक्त बुधराम ने मुर्गा-लड़ाई पर प्रत्येक ने 6 रुपये की शर्त लगाई थी। मृतक ने शर्त जीत ली थी। अभियुक्त बुधराम ने हारी हुई राशि विजेता (मृतक) को अदा नहीं की, जिसके कारण उनके मध्य विवाद हो गया। तत्पश्चात वे अपने-अपने घर चले गए। उसी दिन, बाजीराव (अ.सा.-3), जो घटना के समय आरक्षक के पद पर नियुक्त नहीं था, किंतु अपने साक्ष्य के समय आरक्षक के रूप में कार्यरत था, बलमती (अ.सा.-6), कनकी बाई (अ.सा.-2) तथा मृतक पांडेपारा स्थित शांति के घर पर बैठने गए थे, जहाँ से लगभग सायं 6 बजे वे महरापारा स्थित अपने घरों की ओर लौट रहे थे। मृतक आगे-आगे चल रहा था। जब वे अपने गाँव के भैरमदेव मंदिर के समीप पहुँचे, तब अभियुक्तगण कड़ती राम, लेकामी बोड़ा तथा उरसा सोमलु वहाँ आ गए। मृतक की ओर संकेत करते हुए तथा यह कहते हुए कि वही व्यक्ति अधिक बोल रहा था, मृतक की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से उन्होंने टंगिया एवं लाठी से उस पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। अभियुक्त उरसा सोमलु द्वारा सीटी बजाने पर अभियुक्त हपका पांडरू (मृत), कड़ती बुधराम तथा कड़ती सोमलु भी वहाँ आ गए। उन्होंने मृतक को चारों ओर से घेरकर उसके साथ मारपीट करना प्रारंभ कर दिया। घटना में शिकायतकर्ता राम (अ.सा.-1), कनकी बाई (अ.सा.-2) तथा बलमती (अ.सा.-6) द्वारा हस्तक्षेप करने पर अभियुक्तगण ने उन्हें भी आघात पहुँचाया, जिससे वे आहत हो गए। मृतक तथा कनकी बाई (अ.सा.-2) आहत होकर खेत में गिर पड़े। बाजीराव (अ.सा.-3) भयवश घटना स्थल से जंगल की ओर भाग गया। मृतक को सिर पर गंभीर चोटें आईं। शिकायतकर्ता राम (अ.सा.-1) के चिल्लाने पर इतवारी, हिरमा तथा गुड्डी घटना स्थल पर आए; उनकी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सहायता से मृतक तथा अचेत अवस्था में पड़ी कनकी बाई (अ.सा.-2) को भैरमगढ़ अस्पताल ले जाया गया। शिकायतकर्ता राम (अ.सा.-1) ने घटना के उसी दिन, अर्थात् 29-1-1988 को, पुलिस चौकी भैरमगढ़ में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) क्रमांक 0/88 दर्ज कराया। मृतक को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भैरमगढ भेजा गया, जिसकी चिकित्सकीय परीक्षण प्रदर्श पी-26 है। यह परीक्षण डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, खंड चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भैरमगढ़, बस्तर द्वारा किया गया। अपनी रिपोर्ट दिनांक 29-1-1988 में डॉ. ए.के. श्रीवास्तव ने अभिनिर्धारित दिया कि मृतक को आई चोटें गंभीर प्रकृति की थीं तथा वे तीक्ष्ण धारदार एवं सश्रम तथा कुंद वस्तुओं से कारित की गई थीं। नियमित प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-35) पुलिस थाना बीजापुर में पंजीबद्ध किया गया। आहत बलराम (मृतक) की मृत्यु उसी दिन, अर्थात् 29-1-1988 को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भैरमगढ़ में हो गई। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-24) पुलिस चौकी भैरमगढ़ में अन्वेषण अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक पी.आर. नेताम (अ.सा.-7) द्वारा दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भैरमगढ़ पहुँचा, पंचों को सूचना (प्रदर्श पी-2) दी तथा मृतक के शव पर पंचनामा (प्रदर्श पी-3) तैयार किया। मृतक का शव पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-25 के माध्यम से भेजा गया। डॉ. ए.के. श्रीवास्तव ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर दिनांक 30-1-1988 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अनेक चीरे के घाव, नील तथा खोपड़ी की दाहिनी ऑक्सिपिटल एवं दाहिनी पार्श्विका अस्थि में फ्रैक्चर पाए। उन्होंने अभिनिर्धारित दिया कि मृत्यु का कारण मस्तिष्क का विदारण था तथा मृत्यु प्रकृति से मनाववध थी। आहत कनकी बाई (अ.सा.-2) एवं बलमती (अ.सा.-6) को क्रमशः प्रदर्श पी-28 एवं प्रदर्श पी-29 के माध्यम से चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे की विवेचना में अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचा। उसने अपीलार्थी कड़ती राम तथा उरसा सोमलु के साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत कथन क्रमशः प्रदर्श पी-21 एवं प्रदर्श पी-18 पर अभिलेखित किए। अपीलार्थी कड़ती राम के कथन पर एक बांस (लाठी) प्रदर्श पी-9 के माध्यम से जप्त की गई तथा अपीलार्थी उरसा सोमलु के कथन पर एक डंडा (लाठी) प्रदर्श पी-6 के माध्यम से जप्त किया गया। अन्य अभियुक्तों के कथन भी अभिलेखित किए गए तथा उनके कथनानुसार जप्तियाँ की गईं। घटना स्थल से साधारण मिट्टी एवं रक्तरंजित मिट्टी प्रदर्श पी-5 के माध्यम से जप्त की गई। जप्त सामग्री रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-34 के माध्यम से न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजी गई।

अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग-पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, बस्तर, जगदलपुर को विचारण हेतु किया। वहाँ से स्थानांतरण पर प्रकरण प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण संपन्न कर अपीलार्थियों को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

4. श्रीमती किरण जैन, अपीलार्थियों की विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि कोई स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं है। कनकी बाई (अ.सा.-2) मृतक की माता है तथा बलमती (अ.सा.-6) मृतक की बहन है, अतः वे साक्षी हैं। राम (अ.सा.-1) तथा बिराजी (अ.सा.-5) भी अत्यधिक हितबद्ध साक्षी हैं। उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। उनके कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। अपीलार्थियों को इस प्रकरण में झूठा से फँसाया गया है। अभियोजन अपीलार्थियों द्वारा सामान्य उद्देश्य के साझेपन को सिद्ध करने में विफल रहा है। उन्होंने आगे तर्क किया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है कि अपीलार्थी किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे। अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपना प्रकरण सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः अपीलार्थी उनके विरुद्ध आरोपित अभियोगों से दोषमुक्त किए जाने के पात्र हैं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. श्री अरविंद दुबे, राज्य/प्रतिवादी की ओर से विद्वान् पैनल अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त दोषसिद्धि एवं दंडादेश इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करते।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना है तथा सत्र प्रकरण क्रमांक 177/1988 के अभिलेख का अवलोकन किया है। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि राम (अ.सा.-1), कनकी बाई (अ.सा.-2), बिराजी (अ.सा.-5) तथा बलमती (अ.सा.-6) के साक्ष्य पर आधारित है।

7. राम (अ.सा.-1), कनकी बाई (अ.सा.-2) तथा बलमती (अ.सा.-6) ने अपने कथनों में यह कहा है कि उन्हें भी घटना में चोटें आई थीं। अतः राम (अ.सा.-1), कनकी बाई (अ.सा.-2) तथा बलमती (अ.सा.-6) आहत चक्षुदर्शी साक्षी हैं।

<u>आहत एवं संबंधी साक्षियों का साक्ष्य :</u>

8. **मनोज दत्त एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी. 79** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी व्यक्त किया :—

"30. सामान्यतः, एक आहत साक्षी को अधिक विश्वसनीयता प्राप्त होती है क्योंकि वह स्वयं पीड़ित होता है और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के लिए घटना का गलत संस्करण प्रस्तुत करने या किसी को झूठा से फँसाने तथा वास्तविक अपराधी को बचाने का कोई अवसर नहीं होता। हमें इस बात पर अधिक विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की गवाही को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। वस्तुतः, दांडिक न्यायशास्त्र का यह पक्ष अब विवाद का विषय नहीं रहा है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निरंतर समान भाषा में कहा गया है।

31. हम केवल अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी. 259 का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया : (एस.सी.सी. पृष्ठ 271-72, पैरा 28-30)

"28. घटना के दौरान स्वयं आहत हुए साक्षी के साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाए, इस प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा विस्तृत विचार किया गया है। जहाँ घटना का कोई साक्षी स्वयं उसी घटना में आहत हुआ हो, ऐसे साक्षी की गवाही सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि वह ऐसा साक्षी होता है जिसकी अपराध स्थल पर उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी होती है और वह अपने वास्तविक हमलावर को छोड़कर किसी अन्य को झूठा से अभियुक्त बनाने की संभावना नहीं रखता। 'आहत साक्षी को अविश्वसनीय ठहराने हेतु ठोस साक्ष्य अपेक्षित होता है।' [देखें रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य, (1973) 3 एस.सी.सी. 881; मल्खान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1975) 3 एस.सी.सी. 311; मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एस.सी.सी. 470; अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य, 1988 पूरक एस.सी.सी. 241; बोंक्या बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1995) 6 एस.सी.सी. 447; भग सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1997) 7 एस.सी.सी. 712; मोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2002) 7 एस.सी.सी. 606; दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य, (2008) 8 एस.सी.सी. 270; विष्णु बनाम राजस्थान राज्य, (2009) 10 एस.सी.सी. 477; अन्नारेड्डी सांबसिवा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 12 एस.सी.सी. 546; तथा बालराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 6 एस.सी.सी. 673].]

29. इस विषय का निर्णय करते समय जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009) 9 एस.सी.सी. 719 में भी समान दृष्टिकोण अपनाया गया, जहाँ इस

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय ने आहत अभियुक्त की गवाही को प्रदत्त विशेष साक्ष्यात्मक महत्व को पुनः दोहराते हुए कहा : (एस.सी.सी. पृष्ठ 726-27, पैरा 28-29)

'28. दर्शन सिंह (अ.सा.- 4) एक आहत साक्षी था। उसका परीक्षण चिकित्सक द्वारा किया गया था। उसकी गवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसने घटना का पूर्ण विवरण दिया क्योंकि वह उस समय उपस्थित था जब हमलावर ट्यूबवेल पर पहुँचे। शिवलिंगप्पा कल्लैयानप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, 1994 पूरक (3) एस.सी.सी. 235 में इस न्यायालय ने कहा है कि आहत साक्षी के कथन पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास एवं विसंगतियों के आधार पर उसे अस्वीकार करने के ठोस कारण न हों, क्योंकि यदि यह सिद्ध हो जाए कि उसे उक्त घटना में चोट आई थी, तो उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति स्थापित हो जाती है।

29. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन चंद, (2004) 7 एस.सी.सी. 629 में भी यही दृष्टिकोण पुनः दोहराया गया है कि आहत साक्षी की गवाही का अपना विशेष महत्व एवं प्रभाव होता है। यह तथ्य कि साक्षी को घटना के समय एवं स्थान पर चोट आई थी, इस बात का समर्थन करता है कि वह घटना के समय उपस्थित था। यदि आहत साक्षी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया हो और उसकी गवाही को त्याज्य ठहराने हेतु कुछ भी प्राप्त न हुआ हो, तो उसकी गवाही पर विश्वास किया जाना चाहिए (देखें कृष्ण बनाम हरियाणा राज्य, (2006) 12 एस.सी.सी. 459)। अतः, हमारा सुविचारित मत है कि दर्शन सिंह (अ.सा.- 4) के साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उचित रूप से विश्वास किया गया है।'

30. इस विषय पर विधि का सार यह है कि आहत साक्षी की गवाही को विधि में विशेष दर्जा प्राप्त है। इसका कारण यह है कि साक्षी को लगी चोट उसकी अपराध स्थल पर उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी है और ऐसा साक्षी अपने वास्तविक हमलावर को दंड से बचाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को झूठा से अभियुक्त बनाने की इच्छा नहीं रखेगा। अतः, आहत साक्षी के कथन पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि उसमें गंभीर विरोधाभास एवं विसंगतियों के आधार पर उसे अस्वीकार करने के ठोस कारण न हों।"

9. **धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2010) 7 एस.सी.सी. 759** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. ऐसा कोई सश्रम एवं अटल नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य घटना के सच्चे साक्षी कभी नहीं हो सकते और वे सदैव न्यायालय के समक्ष असत्य कथन ही करेंगे। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जयबालन बनाम केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी, (2010) 1 एस.सी.सी. 199 में इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ कि क्या हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित व्यक्त किया कि हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य के मूल्यांकन में अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया नहीं जा सकता। ऐसे साक्ष्य को केवल इस आधार पर उपेक्षित या निरस्त नहीं किया जा सकता कि वह पीड़ित से निकट संबंध रखने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया है। न्यायालय ने इस प्रकार कहा : (एस.सी.सी. पृष्ठ 213, पैरा 23-24)

"23. हमारा सुविचारित मत है कि जिन मामलों में न्यायालय को हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य से निपटना होता है, वहाँ ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण अत्यधिक तकनीकी नहीं होना चाहिए। न्यायालय को ऐसे साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्वीकार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु उसे ऐसे साक्ष्य के प्रति संदेहशील नहीं होना चाहिए। न्यायालय का प्रमुख प्रयास संगति की खोज करना होना चाहिए। किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस कारण से उपेक्षित या निरस्त नहीं किया जा सकता कि वह पीड़ित से निकट संबंध रखने वाले व्यक्ति के मुख से आया है।"

13. इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 1 एस.सी.सी. 722 में भी अपनाया गया, जहाँ न्यायालय ने यह विधि-सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृतक का निकट संबंधी मात्र होने से कोई व्यक्ति स्वतः ही हितबद्ध साक्षी नहीं बन जाता। हितबद्ध साक्षी वह होता है जो प्रतिशोध, शत्रुता या विवाद के कारण किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध कराने में रुचि रखता हो और उसी उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष कथन करता हो, न कि न्याय की स्थापना हेतु। हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित विधि सुस्थापित है, जिसके अनुसार ऐसे साक्षी के कथन को पूर्णतः अस्वीकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे स्वीकार करने से पूर्व सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना आवश्यक है।"

10. **तकदीर समसुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 37** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित व्यक्त किया :—

"10. इस संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि श्री भरत राजेंद्रप्रसाद त्रिवेदी (अ.सा.-1) फर्म में भागीदार होने के कारण, यदि एक भागीदार की हत्या हो जाए और दूसरा भागीदार कारावास में चला जाए, तो वह संबंधित भूमि के लेन-देन में लाभार्थी होगा। ऐसा तर्क दो कारणों से स्वीकार्य नहीं है :—

(i) किसी साक्षी को हितबद्ध साक्षी मानते हुए उसके साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि 'हितबद्ध' शब्द का उद्देश्य यह है कि साक्षी का किसी अन्य कारण से अभियुक्त को किसी भी प्रकार दोषसिद्ध कराने में प्रत्यक्ष हित होना चाहिए।

(ii) (ii) इस न्यायालय ने निरंतर यह प्रतिपादित किया है कि सामान्य नियम के रूप में न्यायालय किसी एकमात्र साक्षी की गवाही पर भी कार्य कर सकता है, बशर्ते वह पूर्णतः विश्वसनीय हो। किसी व्यक्ति को केवल एक साक्षी की गवाही के आधार पर दोषसिद्ध करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। यही साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का तात्पर्य है। परंतु यदि साक्ष्य के संबंध में संदेह हो, तो न्यायालय पुष्टिकरण की अपेक्षा करेगा। वस्तुतः, संख्या या मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन सिद्धांत यह है कि साक्ष्य को गिना नहीं, बल्कि तौला जाता है। परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य सत्य का आभास देता है, क्या वह सुसंगत, विश्वसनीय एवं भरोसेमंद है या नहीं। विधिक प्रणाली ने साक्ष्य के मूल्य, महत्व और गुणवत्ता पर बल दिया है, न कि साक्षियों की संख्या, बहुलता या बहुसंख्या पर। अतः सक्षम न्यायालय के लिए यह पूर्णतः खुला है कि वह एकमात्र साक्षी पर पूर्ण विश्वास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर दोषसिद्धि अभिलिखित करे। इसके विपरीत, यदि अनेक साक्षियों की गवाही होने पर भी न्यायालय साक्ष्य की गुणवत्ता से संतुष्ट न हो, तो वह अभियुक्त को दोषमुक्त भी कर सकता है।"

11. **ब्रहम स्वरूप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 280** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :—

"21. केवल इस कारण से कि साक्षी मृत व्यक्तियों के निकट संबंधी थे, उनकी गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी पक्ष से उनका संबंध होना साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, विशेषकर तब, जब कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को छिपाकर किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने की संभावना नहीं रखता। किसी पक्ष को मिथ्या अभियोजन के संबंध में ठोस तथ्यात्मक आधार स्थापित करना होता है और निर्दोष साक्ष्य प्रस्तुत कर उसे सिद्ध करना होता है। तथापि, ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सुसंगत एवं विश्वसनीय है।

22. जहाँ घटना का कोई साक्षी स्वयं उसी घटना में आहत हुआ हो, ऐसे साक्षी की गवाही सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि वह ऐसा साक्षी होता है जिसकी अपराध स्थल पर उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी होती है और वह अपने वास्तविक हमलावर को छोड़कर किसी अन्य को झूठा से अभियुक्त बनाने की संभावना नहीं रखता। "आहत साक्षी को अविश्वसनीय ठहराने हेतु ठोस साक्ष्य अपेक्षित होता है।" ......"

12. राम (अ.सा.-1) ने अपने कथन में कहा कि घटना के दिन वह, मृतक बलराम, बलमती (अ.सा.-6), कनकी बाई (अ.सा.-2) तथा बाजीराव (अ.सा.-3) पांडेपारा से अपने घरों की ओर आ रहे थे। समय लगभग सायं 5-6 बजे का था। अभियुक्तगण मंदिर के पास एक साथ खड़े थे। उस दिन गाँव में बाजार लगा था, अतः वहाँ अनेक लोग उपस्थित रहे थे। मृतक बलराम को देखकर तथा यह कहते हुए कि वही व्यक्ति है, अभियुक्त उरसा सोमलु, कड़ती बुधराम तथा मृत अभियुक्त पांडरू ने लाठी एवं टंगिया से मारपीट करना प्रारंभ कर दिया। अभियुक्त कड़ती बुधराम एवं उरसा सोमलु लाठी से सुसज्जित थे। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त उरसा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सोमलु, बुधराम तथा मृत अभियुक्त पांडरू ने बलमती (अ.सा.-6) एवं कनकी बाई (अ.सा.-2) को लाठी एवं टंगिया से प्रहार किया। उन्होंने यह भी कहा कि मृत अभियुक्त पांडरू ने उन्हें टंगिया के पिछले भाग से प्रहार किया। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक बलराम के सिर एवं पीठ पर चोटें आईं और उससे रक्तस्राव हुआ।

13. कनकी बाई (अ.सा.-2) ने अपने कथन में कहा कि वह अपने पुत्र बलराम (मृतक), पुत्री बलमती (अ.सा.-6), बाजीराव (अ.सा.-3) तथा राम (अ.सा.-1) के साथ पांडेपारा से अपने घर लौट रही थी। जब वे मंदिर के समीप पहुँचे, तब अपीलार्थी उरसा सोमलु एवं कड़ती राम सहित अभियुक्तगण वहाँ मिले। मृतक बलराम को देखकर तथा यह कहते हुए कि वही व्यक्ति है, अभियुक्त उरसा सोमलु, कड़ती बुधराम तथा मृत अभियुक्त पांडरू ने मारपीट करना प्रारंभ कर दिया। उस समय अभियुक्त बुधराम लाठी से सुसज्जित था, मृत अभियुक्त पांडरू टंगिया से सुसज्जित था तथा अन्य अभियुक्त लाठियों से सुसज्जित थे। जब उसने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तब उसे भी चोटें आईं। बिराजी (अ.सा.-5) तथा बलमती (अ.सा.-6) ने भी इसी प्रकार के कथन दिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. बलमती (अ.सा.-6) ने अपने कथन में कहा कि अभियुक्त बोड़ा राम एवं उरसा सोमलु ने मृतक को लाठी से प्रहार किया तथा अभियुक्त पांडरू ने टंगिया से प्रहार किया और अभियुक्त बुधराम ने लाठी से प्रहार किया। जब उसने मृतक को बचाने का प्रयास किया, तब अभियुक्तगण ने उसे भी मारपीट कर आहत किया। उसने आगे कहा कि अभियुक्त कड़ती राम ने मृतक पर उसके अंतिम श्वास तक प्रहार किया।

15. राम (अ.सा.-1) ने अपने कथन में कहा कि उसने पुलिस चौकी भैरमगढ़ में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराया। उसने आगे कहा कि मृतक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भैरमगढ़ भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सत्र प्रकरण के अभिलेख के साथ संलग्न हैं। डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, जिन्होंने मृतक के शरीर का चिकित्सकीय परीक्षण तथा शव परीक्षण किया था, उनके निवास-स्थान का पता न चल पाने के कारण अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं किए जा सके। अभियोजन को डॉ. ए.के. श्रीवास्तव का परीक्षण कराने हेतु अनेक अवसर प्रदान किए गए, परंतु वह उन पर समन तामील कराने में असफल रहा और उन्हें परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं कर सका। विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद 9 एवं 10 में मृतक की मृत्यु के संबंध में विचार कर यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक की मृत्यु प्रकृति से मानववध थी। उन्होंने

आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद 12 एवं 13 में क्रमशः कनकी बाई (अ.सा.-2) तथा बलमती (अ.सा.-6) को आई चोटों के संबंध में विचार किया।

16. चक्षुदर्शी साक्षी राम (अ.सा.-1), कनकी बाई (अ.सा.-2), बिराजी (अ.सा.-5) तथा बलमती (अ.सा.-6) के साक्ष्य पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि मृतक को ऑक्सिपिटल (पश्च-मस्तिष्कीय) क्षेत्र में कटा हुआ घाव आए थे। अपीलार्थियों द्वारा भी इस अपील में मृतक की मनाववध मृत्यु का विवाद नहीं किया गया है। अतः, चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आलोक में मृत्यु के कारण के निर्धारण हेतु पोस्टमार्टम प्रतिवेदन का अवलोकन किया जा सकता है। चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को पोस्टमार्टम प्रतिवेदन तथा चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन से पुष्टिकरण प्राप्त होता है। घटना के समय चक्षुदर्शी साक्षियों की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने अभियोजन के प्रकरण का पूर्णतः समर्थन किया है। अतः, चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित होता है कि मृतक की मृत्यु प्रकृति से मनाववध थी तथा अपीलार्थियों एवं अन्य अभियुक्तों ने मृतक एवं आहत साक्षियों पर हमला किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 सामान्य उद्देश्य की परिकल्पना करती है तथा धारा 141 भारतीय दंड संहिता 'विधि विरुद्ध जमाव' को परिभाषित करती है। धारा 141 भारतीय दंड संहिता यह उपबंध करती है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों का कोई जमाव 'विधि विरुद्ध जमाव' कहलाता है, यदि उस जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य धारा 141 में उल्लिखित पाँच उद्देश्यों में से एक या अधिक उद्देश्यों में से कोई हो। आगे, स्पष्टीकरण द्वारा यह भी उपबंध किया गया है कि जो जमाव प्रारंभ में अवैध नहीं था, वह बाद में विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है। इससे यह पूर्णतः स्पष्ट है कि पाँच से कम न होने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसका सामान्य उद्देश्य धारा 141 में निर्दिष्ट पाँच उद्देश्यों में से किसी एक प्रकृति का हो, प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध जमाव का गठन करता है; तथा जो जमाव प्रारंभ में अवैध नहीं था, वह भी बाद में विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है, धारा 149 भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ, जो यह उपबंध करती है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी होगा, जो सामान्य उद्देश्य की अग्रसर में किया गया हो। धारा 149 एवं धारा 141 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त 'सामान्य उद्देश्य' शब्दों का विशेष महत्व है। इसे 'सामान्य उद्देश्य' (**common intention**) से पृथक् समझा जाना चाहिए। अतः, धारा 149 भारतीय दंड संहिता के निहितार्थों पर विचार करते समय यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मात्र विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, जब तक यह सिद्ध न हो कि उसका सामान्य उद्देश्य था,

वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित था और वह उद्देश्य धारा 141 में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक या अधिक था। अतः, जब तक विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक धारा 149 की सहायता से दोषसिद्धि नहीं की जा सकती; और विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकता है। यह निर्धारित करने हेतु कि किसी व्यक्ति ने कथित सामान्य उद्देश्य में सहभागिता की थी, यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि वह भली-भांति जानता था कि जिस जमाव का वह सदस्य था, वह धारा 141 में उल्लिखित कृत्य या कृत्यों को करने वाला है या करने की संभावना है। सामान्य उद्देश्य किसी भी अवस्था में गठित हो सकता है। किसी विशेष अवस्था में गठित सामान्य उद्देश्य को त्यागकर बाद में भिन्न उद्देश्य भी निर्मित किया जा सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में इन सभी पहलुओं का निर्धारण किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् धारा 149 के उपबंधों को विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य की दोषसिद्धि हेतु लागू किया जाना चाहिए। यही विधायिका का उद्देश्य था जब उसने धारा 149 भारतीय दंड संहिता में 'सामान्य उद्देश्य की अग्रसर में' जैसे शब्दों का समावेश किया। इसी प्रकार, प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, जहाँ कृत्यों का एक क्रम कारित हुआ हो, साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य केवल प्रथम कृत्य कारित के संपादन तक सीमित था और उसके पश्चात् क्या जमाव भंग हो गया, अथवा विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य या भंग हो चुके जमाव के सदस्य ने पश्चातवर्ती कृत्य किया; और यदि ऐसा हो, तो क्या वह उसका व्यक्तिगत कृत्य था या उसे उस समय विद्यमान विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य की अग्रसर में किया गया कृत्य माना जाएगा। यदि साक्ष्य से यह पाया जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य केवल किसी विशिष्ट कृत्य के संपादन तक सीमित था, जो प्रारंभ में कारित कर दिया गया, और उसके पश्चात् प्रारंभिक विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य ऐसा कृत्य करता है जो सामान्य उद्देश्य की अग्रसर में नहीं था, तो वह निश्चित रूप से उसका व्यक्तिगत कृत्य माना जाएगा, न कि जमाव का; और ऐसे प्रकरण में धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से कोई दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. **धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (उपर्युक्त)** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि धारा 149 भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत अब तक भली-भांति स्थापित हो चुके हैं। वर्षों पूर्व, इस न्यायालय की पीठ

ने मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 202 में यह विधि-सिद्धांत घोषित किया था कि अभियोजन को उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिस पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने का आरोप है, यह सिद्ध करना होगा कि वह व्यक्ति उस जमाव का अंग था तथा उसने जमाव के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर धारा 141 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित सामान्य उद्देश्य को धारण किया था। ऐसे प्रकरण में निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि क्या जमाव पाँच या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना था और क्या उन व्यक्तियों ने एक या अधिक सामान्य उद्देश्य धारण किए थे। विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के निर्धारण के लिए उस जमाव के प्रत्येक सदस्य के आचरण—हमला से पूर्व, हमला के समय तथा उसके पश्चात—साथ ही अपराध के हेतुक भी प्रासंगिक विचारणीय बिंदु हैं। तथापि, विधि विरुद्ध आशय के निर्माण का समय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह संभव है कि कोई जमाव जो प्रारंभ में विधिसम्मत था, बाद में विधि विरुद्ध हो जाए। अन्य शब्दों में, विधि विरुद्ध आशय घटना के दौरान स्थल पर तत्क्षण भी विकसित हो सकता है (मरनाडु बनाम राज्य, (2008) 16 एस.सी.सी. 529)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. **मुथु नाइकर एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1647** में, विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित व्यक्त किया कि जहाँ हाथापाई की स्थिति हो, अनेक हमलावर हों तथा अनेक साक्षी घटना को विभिन्न स्थानों से और विभिन्न चरणों में देखे जाने का दावा करते हों, और जहाँ साक्ष्य निर्विवाद रूप से पक्षपाती हो, वहाँ निर्दोष व्यक्तियों के दोषियों के साथ झूठा से सम्मिलित किए जाने की संभावना को सहज ही नकारा नहीं जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि गुटबंदी से ग्रस्त समाज में, जहाँ किसी गाँव में प्रतिद्वंद्वी गुटों के मध्य घटना घटित होती है, वहाँ साक्ष्य का पक्षपाती होना लगभग अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर कि साक्ष्य पक्षपाती है, संपूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार कर देना हमारे देश के ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं से आँख मूँद लेना होगा। यदि ऐसा सरल मार्ग अपनाया जाए तो अनेक अभियुक्त दंड से बच निकलेंगे। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि ऐसी परिस्थितियों में विपक्षी गुट के अधिक से अधिक व्यक्तियों को केवल यह कहकर कि वे हाथापाई के समय वहाँ देखे गए थे, अभियुक्त बना देने की प्रवृत्ति प्रायः दृष्टिगोचर होती है, जिसे टाला जाना चाहिए। अतः साक्ष्य का परीक्षण अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता के साथ

किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में **मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 202** के निर्णय का भी उल्लेख किया गया।

20. वर्तमान प्रकरण में, समस्त अभियुक्तगण, जो लाठी एवं टंगिया से सुसज्जित थे, मंदिर के समीप खड़े थे और मृतक को देखते ही यह कहते हुए कि वही व्यक्ति है, उन्होंने टंगिया एवं लाठी से उस पर प्रहार किया। उनका आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे मृतक की हत्या कारित करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में एकत्र हुए थे तथा राम (अ.सा.-1), कनकी बाई (अ.सा.-2) एवं बलमती (अ.सा.-6) को आहत करने का भी उनका उद्देश्य था। अतः यह स्थापित होता है कि अपीलार्थियों एवं अन्य अभियुक्तों ने विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया था तथा अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में अपीलार्थी कड़ती राम एवं उरसा सोमलु ने मृतक पर लाठी से प्रहार किया।

21. चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि अभियोजन यह स्थापित करने में सफल रहा है कि हमलावारों का दल पाँच से अधिक व्यक्तियों से बना था, जिन्होंने एक विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया था। यह भी स्थापित है कि पाँच से अधिक व्यक्तियों ने मृतक पर हमला किया तथा उन्होंने मृतक बलराम की हत्या कारित करने का सामान्य उद्देश्य निश्चित रूप से साझा किया था। अतः विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष किसी भी प्रकार की अवैधता अथवा दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। तथापि, दिए गए दंडादेश के संबंध में एक लघु संशोधन अपेक्षित है। विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास अधिरोपित किया है, जो सही नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के उपबंधों के आलोक में, धारा 323 के अंतर्गत दी गई सजा को 3 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष संशोधित किया जाता है।

22. उपर्युक्त लघु संशोधन, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दी गई सजा में किया गया है, के साथ, दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur